

आर्थिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

1. आवेदक दिल्ली सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल <https://edistrict.delhigovt.nic.in/> को ओपन करे।
2. पोर्टल के नए यूजर लिंक को क्लिक कर आधार या वोटर पहचान पत्र के साथ पंजीयन (Register) करे और पूछी गई जानकारी को भरे। पंजीयन के दौरान आवेदक जानकारी ध्यानपूर्वक भरे तथा अपने एड्रेस की लोकैलिटी को सही चयन करे ताकि आप अपने संबंधित विधानसभा का जिला कार्यालय ही चयनित हो। आवेदक आधार के साथ पंजीयन को प्राथमिकता दे।
3. REGISTRATION के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर NIC के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा भेजे गये ACCESS CODE और PASSWORD को डाले और REGISTRATION प्रक्रिया को पूर्ण करें।
4. सफलतापूर्वक REGISTRATION पूर्ण होने पर आपके मोबाइल में "REGISTRATION ID" और PASSWORD आएगा, उसे सुरक्षित रखे।
5. इस REGISTRATION ID और PASSWORD से पोर्टल पर LOGIN करे यदि LOGIN करने पर PASSWORD बदलने के लिए पूछा जाये तो कृपया PASSWORD बदले और बदले हुए नए PASSWORD से LOGIN करे तथा उसे सुरक्षित रखे।
6. सफलतापूर्वक LOGIN करने के पश्चात पोर्टल के अप्लाई ऑनलाइन लिंक में जाकर "WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT की योजना "Delhi Pension Scheme to Women in Distress" के APPLY बटन को दबाये और अपनी पंजीयन के दौरान दी गई जानकारी की जाँच करें यदि जानकारी में कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसमे सुधार करे, सुधार के दौरान आपके मोबाइल में एक OTP आएगा उसका उपयोग करें।
7. पोर्टल द्वारा आगे की पूछी गई आवश्यक जानकारी को भरे और पोर्टल द्वारा पूछे गये सारे दस्तावेजों को स्पष्ट SCAN करके UPLOAD करे। (नोट : दस्तावेज को 200 KB की साइज़ तक UPLOAD कर सकते हैं जो की पढ़ने मे स्पष्ट हो।)
9. UPLOAD करने के बाद FINAL SUBMIT करे, FINAL SUBMIT के दौरान आपके मोबाइल में एक OTP आएगा उसका उपयोग करें और आवेदन संख्या को सुरक्षित रखे, आवेदन फॉर्म का प्रिंट ले और सारे मूल दस्तावेजों के साथ अपने जिला कार्यालय में संपर्क करें।
10. आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के "ट्रैक योर एप्लीकेशन" लिंक में जाकर अपना आवेदन क्रमांक तथा नाम भरकर जान सकते हैं या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में LOGIN करने के पश्चात REPORT LINK को क्लिक कर समय समय पर जाँच करें यदि आवेदन पर कोई OBJECTION हो तो उसे समाधान कर SUBMIT करें।

नोट : पोर्टल पर आवेदक का आधार या वोटर पहचान पत्र **ALREADY REGISTERED** होने पर अथवा **PASSWORD** खोने पर, आवेदक अपने पहचान दस्तावेजों के साथ विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में संपर्क करे और ई-डिस्ट्रिक्ट का **USER ID** तथा **PASSWORD** प्राप्त करे।

{ भुगतान विलम्ब की असुविधा के लिए अपना बैंक खाता संख्या अपने आधार कार्ड से लिंक करवाये । }

The following documents are required for Scheme “**Delhi Pension Scheme to Women in Distress**” of **Women & Child Development Department**.

1) **Abandoned Category:** - “Proof of document for Abandonment”.

- (i) Proof of FIR
- (ii) Proof of DD
- (iii) Report from Crime Against Women Cell
- (iv) Report from Family Counselling Centre
- (v) Report from Delhi/National Commission for Woman.
- (vi) Report from Mahila Panchayat
- (vii) Any other document which establishes Abandonment

2) **Deserted Category:** - “Proof of document for **Deserted**”.

- (i) Proof of FIR
- (ii) Proof of DD
- (iii) Report from Crime Against Women Cell
- (iv) Report from Family Counselling Centre
- (v) Report from Delhi/National Commission for Woman.
- (vi) Report from Mahila Panchayat
- (vii) Any other document which establishes Deserted

3) **Destitute Category:-** “Proof of document for **Destitute**”.

- (i) Proof of FIR
- (ii) Proof of DD
- (iii) Report from Crime against Women Cell
- (iv) Report from Family Counselling Centre
- (v) Report from Delhi/National Commission for Woman.
- (vi) Report from Mahila Panchayat
- (vii)** Any other document which establishes **Destitute**

4) **Separated Category:-** “Proof of document for **Separation**”.

- (i) Proof of FIR
- (ii) Proof of DD
- (iii) Divorce Proceeding
- (iv) Report from Crime against Women Cell
- (vi) Report from Family Counselling Centre
- (vii) Report from Delhi/National Commission for Woman.
- (viii) Report from Mahila Panchayat
- (vii) Any other document which establishes **Separation**

5) **Divorced Category:-** “Proof of document for **Divorce**”.

- (i) Divorce Decree
- (iii) Report from Crime against Women Cell
- (iii) Report from Family Counselling Centre
- (iv) Report from Delhi/National Commission for Woman.
- (v) Report from Mahila Panchayat
- (vi)** Any other document which establishes **Divorce**

6) **Widow Category:-** "Proof of Death of Deceased Person" :-

- (i) Burial Slip
- (ii) Court Order
- (iii) Cremation Slip
- (iv) Certificate of local Pradhan/Authority of village/area
- (v) Nursing Home/Hospital Report/Post Mortem Report
- (vi) Police enquiry Report /FIR/DD Entry
- (vii) Death Certificate.

➤ **Documents required for Residence Proof:**

1	Ration Card
2	Voter Card
3	Passport
4	Driving licence
5	Birth certificate issued by MCD/Registrar-Birth & Death
6	Death certificate issued by MCD/Registrar-Birth & Death
7	Insurance policy document
8	Immunization Card of any family member
9	Medical records of treatment in Delhi
10	Electricity Bill
11	Water Bill
12	Telephone Bill
13	Gas Connection receipt
14	Bank Passbook
15	Caste certificate issued in Delhi
16	Student I- Card
17	Service Identity Card of public/private sector company /established concern
18	Property Document
19	Any other document which clearly shows a last 5 years of residence in Delhi

➤ **Documents required for Age Proof:**

1	Birth certificate issued by MCD/Registrar-Birth & Death
2	School leaving certificate of class last attended
3	Matriculation 10 certificate
	Hospital discharge slip at the time of birth of the delhi
5	Ration Card
6	Voter Card
7	passport
8	driving licence
9	Pan card
10	Immunization Card
11	Age assessment medical certificate
12	Any document issued by government/ gov. recognizes body stating date and place of birth

घोषणापत्र

मैं प्रमाणित करती हूँ कि :

1. आवेदित योजना के समकक्ष, मैं किसी भी अन्य विभाग (केंद्र/ राज्य सरकार, दिल्ली नगर निगम इकाइयों, नई दिल्ली नगर पालिका या अन्य) से कोई आर्थिक सहायता या सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हूँ।
2. मेरी व्यक्तिगत वार्षिक आय (समस्त स्रोतों से) _____ रुपये है।
3. मैं (विधवा/विवाह विच्छेद/तलाकशुदा/पृथक/निराश्रित/परित्यक्ता) महिला हूँ और मैंने अभी तक पुनः विवाह नहीं किया है। यदि मैं पुनः विवाह करूँगी तो इसकी सूचना विभाग को अवश्य दूँगी।

मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सभी जानकारी पूर्णतया सत्य है। अगर कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो विभाग मेरे विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।

आवेदिका का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम:

दिनांक:

पति/पिता का नाम:

स्थान :

पता:

फ़ोन न.